

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
गोरखपुर 273008

पटना, दिनांक

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारात निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	दरोगा राय पिता— विश्वनाथ ग्राम— बेलदारी पो— माने थाना— दाउदपुर जिला— सारण	Crohn's disease	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष पारिस्थिति मे।
			50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रूपये का क्रास चेक सं० 196935  
... मूल रूप मे सलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

४

- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

हो/-  
 (डॉ प्रमोद कुमार सिंह)  
 निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1900(14)

पटना, दिनांक 09/7/2023-

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ सबधित मरीज /आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
 कमला नेहरू,  
 मेमोरियल अस्पताल,  
 1, हासीमपुर रोड, प्रयाग राज  
 इलाहाबाद-211002

पटना, दिनाक

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 02.07.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	पूनम देवी पति— कमलेश पटेल ग्राम— औसानी पो-०- मगलपुर थाना— पटखोली जिला— पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 /	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रूपये का क्रास चेक स0. 196236.....  
 .....मूल रूप मे संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि रवीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

फै

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक १९०६(१५)

पटना, दिनांक ०९/७/२०२३

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषिते

निदेशक प्रमुख

४

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,  
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
 अंसारीनगर, नई दिल्ली | 110029

पटना, दिनाक

....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 02.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बलिराम यादव पिता— राजकिशोर यादव ग्राम+पो0— बलवा थाना— मादेपुर जिला— मधुबनी यूएचआईडी न0— 107798772	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	शगुफ्ता प्रवीण पिता— मो० रफीक आलम ग्राम— सिगार मोहनी पो०+थाना— जोकिहाट जिला— अररिया यूएचआईडी न0— 104115186	एप्लास्टीक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छ: लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0-30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अतरित किया जाता है।

¶

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक १८९८ (१५)

पटना, दिनांक ०९/७/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. १९६९३४ .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

*०९/७/२५*  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,  
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
 असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनाक . .

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 02.07.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	ऐजल पिता— रवि प्रकाश ग्राम— बूढ़ा महादेव मंदिर पो०— औरगाबाद थाना— टाउन जिला— औरगाबाद यूएचआईडी न०— 102550740	हृदय रोग भीएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	साहिल सिंह पिता— जीतेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो०— हेठुआ थाना— राजपुर जिला— बक्सर यूएचआईडी न०— 102919698	हृदय रोग डीभीआर	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0/196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0 बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अतरित किया जाता है।

।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय ।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय । अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय । मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है । प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय । बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है । उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय ।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

40/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1899 (14)

पटना, दिनांक 09/7/2025

**प्रतिलिपि-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 196938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय ।

**प्रतिलिपि-** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. ई. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

४

सं0 सं0 14 / .एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

**प्रेषक**

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

**सेवा में**

निदेशक / अधीक्षक  
 इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
 बायलेरी साईंस, वंसतकुंज, डी०-१  
 नई दिल्ली 110070

पटना, दिनाक ... .

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 02.07.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सर्वथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	नितेश कुमार पिता— रव० सत्देव सिंह ग्राम+पो०— शेरपुर थाना— मनेर जिला— पटना	Chronic Liver रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	राजेश कुमार सिंह पिता— हरि किशोर प्रसाद सिंह ग्राम— हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरारी पो०+थाना— बरारी जिला— भागलपुर	लीवर सिरोसिस रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सर्वथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 १९८९३४८.द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सर्वथान/अस्पताल के खाता सं0 50100143852078 खाता धारक का नाम—“इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साईंस” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम—Site No-2, OCF pocket, sector C, Vasant Kunj, New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं0 HDFC0000273 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/चृद्घम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावध्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


₹०/-  
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक ०९/०७/२०२५

ज्ञापाक १९०१(१४)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं १९६७३४ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
 मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल  
 डब्ल्यू-3, सेक्टर-1  
 वैशाली, गाजियाबाद- 201012

पटना, दिनांक . . .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अकुश पोद्दार पिता— हितेश कुमार ग्राम— माडर दक्षिणी पो— माडर थाना— मोरकाही जिला— खगड़िया	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 4,50,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196938.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 602014099405 खाता धारक का नाम—क्रासले रेमिडीज लि०" खाते का प्रकार— Overdraft Account बैंक का नाम—INDUSIND BANK शाखा का नाम—डा० गोपाल दास भवन 28 बारखम्बा रोड नई दिल्ली-110001 RTGS/ IFSC कोड सं० INDB0000005 मे अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज /उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमत्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हॉ/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक १९०२(१५)

पटना, दिनांक ०९/७/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १६७३८ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक .....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	माला कुमारी पति— सजीत कुमार सिन्हा ग्राम— धर्मपुर राम राय पो०— ममराजपुर थाना— देसरी जिला— वैशाली सीआर न०— 2020407484	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	स्वामी नाथ ठाकुर पिता— राम चंद्र ठाकुर ग्राम— मोहना बैरिया पो०— कोल्हुआ पैगम्बरपुर थाना— अहियापुर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 2018515384	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रवि रंजन पिता— अनिल कुमार श्रीवास्तव ग्राम— भडकुईया पो०+थाना— बरौली जिला— गोपालगंज सीआर न०— 2025515664	RTA / दुर्घटना	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	मो० अख्तर खान पिता— मो० सफीक खान ग्राम+पो०— मुस्तफापुर थाना— अहियापुर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 2024331733	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	आनन्द सिंह रावत पिता— राजा राम शरण सिंह ग्राम— काजीपुर पो०— बाकीपुर थाना— कदमकुआ जिला— पटना सीआर न०— 2008243117	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	कमलेश पासवान पिता— श्री राम पासवान ग्राम— खरहाना पो०— कुकुढा थाना— ईआढी जिला— बक्सर सीआर न०— 2023200953	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सतन शर्मा पिता— अर्जुन शर्मा ग्राम— कुडवा पो०— अकोरहा थाना— नरारी कला खुर्द जिला— औरंगाबाद सीआर न०— 2017773290	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रबिरजन कुमार पिता— अरुण राम ग्राम— कुडवा पो०— अंकोहरा थाना— नरारी कला खुर्द जिला— औरंगाबाद सीआर न०— 20221020841	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	ललन तिवारी पिता— द्वारिकानाथ तिवारी ग्राम+पो०— सैदपुरा थाना— गोरेयाकोठी जिला— सिवान सीआर न०— 2025321064	हृदय रोग सीएडी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	रईश आलम पिता— उमर आलम ग्राम+पो०— पिपरा थाना— गोविन्दगंज जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न०— 2025139708	Budd Chairi Syndrome	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	आर्दश कुमार पिता— सजय दास ग्राम— उत्तर कदना पो०— कदना थाना— गरखा जिला— सारण सीआर न०— 2025162578	Budd Chairi Syndrome	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

12	इशू पिता— रामशकर सिह ग्राम— लेरुआ पो0— कचनपुर थाना— सासाराम जिला— रोहतास सीआर नं0— 2025346084	EHPVO	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
13	खुशी कुमारी पिता— उदय कुमार गुप्ता ग्राम— अहपुरा पो0+थाना— सन्देश जिला— भोजपुर सीआर नं0— 2025575954	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अकित कुमार पिता— मनोज राम ग्राम— बभनपुरवा पो0— करुप थाना— सासाराम मु0 जिला— रोहतास सीआर नं0— 2021892538	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	मजू देवी पति— लालजी यादव ग्राम+पो0— तेलकथु थाना— एम एच नगर जिला— सिवान सीआर नं0— 2019848847	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	दीपक कुमार साह पिता— नारायण लाल साह ग्राम— बड़ा बाजार कटिहार पो0— कटिहार थाना— नगर जिला— कटिहार सीआर नं0— 2023478591	यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	सुजीत कुमार पिता— कृष्ण मुखिया ग्राम— टेढ़ी कुइयॉ पो0— महुआवा थाना— शिकारपुर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर नं0— 20241251384	Neuroblastoma Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
18	सुशील कुमार पिता— मनु प्रसाद ग्राम+पो0— दगसी थाना— सिध्वलिया जिला— गोपालगंज सीआर नं0— 2025187458	Lap Pyeloplasty	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

19	पुतुल देवी पति— दीपक कुमार साह ग्राम— बड़ा बाजार पो०— कटिहार थाना— नगर जिला— कटिहार सीआर न०— 2018076461	प्लाजमाफेरेसिस और आईवीएलजी इंजेक्शन	1,00,000	एक लाख स्थीकृत विशेष परिस्थिति में।
			17,75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,75,000/- (सत्रह लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एस० एस० पी०ई०डी० खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0007789 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्थीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापांक 1303(14)

पटना, दिनांक 09/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 196938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में ) आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/.एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा मे ,  
मेडिकल सुपरिनेट्वर्क,  
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,  
गाधी मेमोरियल एड एसोसियेट अस्पताल  
लखनऊ, उ0 प्र0— 226003

पटना, दिनांक,

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	लखपतो देवी पति— शिवनाथ सिंह ग्राम— पड़वलिया पो0— बड़की महुली थाना— करगहर जिला— रोहतास	कैसर / गैस्ट्राइट्रोलॉजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0—30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196938. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स0—20229846024 खाता धारक का नाम—CHIEF MEDICAL SUPERINTENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000K656 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

40/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक 1904(14)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक 09/07/2023-

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. 196138 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई डी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
४

स0 स0 14/ एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,  
 निदेशक,  
**Globe Healthcare,**  
**A-3, Nirala Nagar,**  
**Lucknow, Uttar Pradesh - 226020**

पटना, दिनांक ..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अलोक कुमार पिता— राजू कुमार ग्राम— मुस्तिलमपुर पो०+थाना— बनियापुर जिला— सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0- 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0 1854009300011741, खाता धारक का नाम— **Globe Meidcare**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम **PUNJAB NATIONAL BANK**, शाखा का नाम— **KAPURTHALA CHAURAHA, ALIGANG, LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड स0—PUNB0185400** मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय ; मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन  
₹०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक १९०५(१४)

पटना, दिनांक ०९/८/२०२१

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६९३८ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे,  
 निदेशक  
 सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
 इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
 वाराणसी –221005

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 02.07.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	5	
1	अवनीश कुमार पिता— राजेश्वर सिंह ग्राम— रमसीरिया पो0+थाना— मलाही जिला— पूर्वी चम्पारण ओपीडी नं0— TCBHU 2506190087	एसीएल	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	रुबी सिंह पति— अमरेश सिंह ग्राम— मोहनिया पो0— बड़की खरारी थाना— करगहर जिला— रोहतास एमआरडी नं0— 7536946	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	पूनम देवी पति— हरेराम राय ग्राम— दुरासन पो0— डुमरी थाना— सिमरी जिला— बक्सर एमआरडी नं0— 2821560	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	गुप्तेश्वर सिंह पिता— ईश्वर दयाल सिंह ग्राम— कैथी पो0— तेतराढ़ थाना— अकोढ़ीगोला जिला— रोहतास ओपीडी न— TCBHU 2506090054	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

5	प्रेम कुमार पिता— राजेश राम ग्राम+पो0+थाना— कछवा जिला— रोहतास एमआरडी न0— 7385622	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शिवाश पासवान पिता— ज्ञानचंद पासवान ग्राम— ढेढुआ पो0— भरारी कला थाना— चाद जिला— कैमूर भभुआ एमआरडी न0— 7485760	पेडिएट्रीक मेडिकल थेरैपी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	अनीता देवी पति— परमेश्वर प्रसाद बिन्द ग्राम— सिसौडा पो0— तरैथा थाना— रामगढ़ जिला— कैमूर भभुआ एमआरडी न0— 6343908	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	विजय शकर दुबे पिता—ललन दुबे ग्राम—शहर मेदनी पोस्ट—बिसोधीरी थाना—करगहर जिला—रोहतास एमआरडी न0—7132060	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 8,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,20,000/- (आठ लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196738..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम— **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi, RTGS/IFSC** कोड स0 BARB0BHUVAR मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बास—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि

- मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1907(14)

पटना, दिनांक 09/07/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 126938... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मेर्वित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि’— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आईटी मैजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक  
 एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०  
 डी०एल० डबलु हाईडील रोड,  
 वाराणसी । 221004

पटना, दिनांक.... ..

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	संजय कुमार सिंह पिता— मुनश्वार सिंह ग्राम+पो०— रुकुन्दीपुर थाना— दरौदा जिला— सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विकास सिंह पिता— स्व० कामेश्वर सिंह ग्राम+पो०— पहलेजा थाना— डेहरी जिला— रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राधिका देवी पति— रामलाल सिंह ग्राम— पचागामा पो०— खैरा थाना— सोनहन जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	प्रान्तुश कुमार ठाकुर पिता— वकील ठाकुर ग्राम+पो०— गगौली थाना— सिमरी जिला— बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	गोपाल कुमार गुप्ता पिता— मुरली प्रसाद गुप्ता ग्राम— दामोदरपुर पो०+थाना— चैनपुर जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	बृज कुमार तिवारी पिता— स्व जीतन तिवारी ग्राम— राजदिहा पो०— कसिया थाना— डुमराव जिला— बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

7	रेनु देवी पति— नमीन्द्र सिंह ग्राम— बिउरा पो०— खुड़िया थाना— शिवसागर जिला— रोहतास	किडनी रोग कन्जरवेटिव / द्यूमर	50,000  05,30,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
---	--	-------------------------------------	-------------------------	--

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/- (पॉच लाख तीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 36180579026, खाता धारक का नाम— APEX WELCARE PVT. LTD खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1908(14)

पटना, दिनांक 09/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196938 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों से)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
होमी भाभा कैसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विक्रम कुमार पिता— हरेन्द्र राम ग्राम+पो— सैदपुर डुमरा थाना— पातेपुर जिला— वैशाली केस फाईल नं— 19एफ2025 / 002496	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विकाश कुमार शर्मा पिता— दीवान अमरनाथ ग्राम— 115 धरमदास ठाकुर बारी नई गोदाम गया पो— प्रधान डाकघर थाना— कोतवाली जिला— गया जी केस फाईल नं— 18एफ2025 / 00792	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मनोरमा देवी पति— रामाश्रय प्रसाद ग्राम— मझार पो— पहराबली थाना— परैया जिला— गया जी केस फाईल नं— 18एफ2025 / 009225	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	प्रभा मिश्रा पति— विद्या भूषण मिश्रा ग्राम+पो— सोनबरसा थाना— औद्धोगिक थाना जिला— बक्सर केस फाईल नं— 18एफ2023 / 017079	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	अनिता देवी पति— सुजीत बारी ग्राम— डिहरा पो— सकरी थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल नं— 18एफ2025 / 003790	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	कवन कुमारी पति— धनलाल पाल ग्राम— इजरी श्रीराम पो— महदह थाना— मुफकसिल जिला— बक्सर केस फाईल नं— 18एफ2025 / 008178	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	पूनम देवी पति— राजेश यादव ग्राम— जवाही दियर पो— बलुआ थाना— ब्रह्मपुर जिला— बक्सर केस फाईल नं— 18एफ2024 / 012961	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	सुषमा देवी पति— सजीत कुमार ग्राम— रसलपुर पो— मानपुर थाना— मुफकसिल जिला— गया जी केस फाईल नं— 18एफ2025 / 005082	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	विन्दु तिवारी पति— ओम प्रकाश तिवारी ग्राम— कोओपरेटिव कॉलोनी गोडना रोड आरा पो— अनाईट थाना— नवादा जिला— भोजपुर केस फाईल नं— 18एफ2023 / 003489	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

10	हसीना खातून पति— इदरीश मिया ग्राम— आनंदपुर खरौनी पो0— बारादाउद थाना— पास्क जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0— 19एफ2025 / 002623	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	नारायण साव पिता— ब्रह्मदेव साव ग्राम— धोबडीहा पो0— दधापि थाना— मदनपुर जिला— औरंगाबाद केस फाईल नं0— 18एफ2025 / 009502	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
12	अवधेश कुमार शर्मा पिता— मैनेजर शर्मा ग्राम— चक्रवा खास पो0+थाना— भोरे जिला— गोपालगञ्ज केस फाईल नं0— 18एफ2025 / 005950	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
13	लक्ष्मी कुमारी पिता— मुकेश कुमार ग्राम— मनियारी पो0— महंथ मनियारी थाना— मनियारी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0— 19एफ2025 / 003100	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	रामप्रसाद राम पिता— जानकी राम ग्राम— भंगिया पो0— केवला कला थाना— बोधि विगहा जिला— गया जी केस फाईल नं0— केडी / 51013	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सबिता देवी पति— सत लाल साह ग्राम— भगवानपुर पो0+थाना— इसुआपुर जिला— सारण केस फाईल नं0— 18एफ2024 / 002895	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

16	गोविदा कुमार पिता— दीनानाथ पासवान ग्राम— मुरादपुर हुजरा पो— बैदराबाद थाना— अरवल जिला— अरवल केस फाईल नं— केई / 51189	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	विद्या लक्ष्मी देवी पति— कमला सिंह ग्राम— शेरपुर पो+थाना— चैनपुर जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल नं— 16एफ2024 / 002123	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	मनीष कुमार पिता— भगवन सिंह यादव ग्राम— जमुनीपुर पो— पीयान थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल नं— 18एफ2025 / 005892	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	अनिल प्रसाद केशरी पिता— विशवनाथ प्रसाद सिंह ग्राम— बस्तलवा पो— कथराई थाना— करगहर जिला— रोहतास केस फाईल नं— 18एफ2024 / 008242	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	राजेश्वर प्रसाद राय पिता— सौखी राय ग्राम— रेंटल फ्लैट 122 ट्राइगल पार्क नजदीक सी बी आई ककडबाग पो— लोहिया नगर थाना— ककडबाग जिला— पटना केस फाईल नं— 16एफ2023 / 000024	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	रुपेश कुमार पिता— राजेश कुमार गुप्ता ग्राम+पो— हुसेना खुद थाना— गोरौल जिला— वैशाली केस फाईल नं— 19एफ2023 / 000657	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

22	प्रसाद जिवत सरजू पिता— स्व० सरजू प्रसाद ग्राम— धर्मपुरा पो०— सैठा थाना— सोनहन जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०— 18एफ2024 / 009382	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	रामविहारी राय पिता— जगनाथ राय ग्राम+पो०— चिलहरी थाना— नया भोजपुर जिला— बक्सर केस फाईल न०— 18एफ2024 / 015898	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	आकाश गुप्ता पिता— प्रेमचंद गुप्ता ग्राम— कोईरीपुरवा थाना— मोडल पो०+जिला— बक्सर केस फाईल न०— 18एफ2023 / 004563	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
25	मोनी कुमारी पिता— अरविन्द कुमार ग्राम— कोयरीबीघा पो०+थाना— बरबीघा जिला— शेखपुरा केस फाईल नं०— 16एफ2024 / 00190	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	नीलम देवी पति— अभिषेक कुमार मिश्रा ग्राम— उकरेडी वार्ड 07 पो०— केवटलिया थाना— दरौली जिला— सिवान केस फाईल न०— 18एफ2025 / 007148	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	रजना केशरी पति— संजय कुमार ग्राम— सी०डी०ए० कॉलनी पो०+थाना— शास्त्रीनगर जिला— पटना केस फाईल न०— 18एफ2024 / 013267	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	लालती देवी पति— शिवबचन सिंह ग्राम+पो०— भेरिया थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०— 18एफ2025 / 009797	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

29	वेदात सिंह पिता— नरेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम— जहानाबाद पो+थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ केस फाइल नं०— के०५/५११५५	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	दीपक कुमार सिंह पिता—राम चन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो—देवापुर थाना—बरौली जिला—गोपालगंज केस फाइल नं०—१६एफ२०२५ / ०००९५८	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			29,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,80,000/- (उनतीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरकारी/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरकारी/अस्पताल के खाता सं०— 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाषा कैंसर हॉस्पीटल, वाराणसी, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0285166 में अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1909 (14)

पटना, दिनांक— ०९/७/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतिलिपियों में)/ डॉ० एम० बैनेजल, स्वारश्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 / 2025  
**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं**  
**बिहार, पटना**

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में  
निदेशक,  
ARVACHIN HOSPITAL,  
Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,  
Akhari Bypass NH 2,  
(Near Delhi Public School)  
Varanasi 221011.

पटना, दिनाक.

**विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **02.07.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मंगल देव कुमार पिता— नन्दलाल भगत ग्राम— छाता पो— छापिया बुजुर्ग थाना— हुसैनगज जिला— सिवान	Cervical Injury	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० **196938**..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स० 50200088951405 खाता धारक का नाम— **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार—चातुर्भुज, बैंक का नाम— **HDFC Bank**, शाखा का नाम— **Lohta**, RTGS/IFSC कोड स० **HDFC0002166** में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/चृद्घम नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाए। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कौष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 19/०(१५)

पटना, दिनांक- 09/७/२०२३

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
 महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैसर सेंटर,  
 सुन्दर बगिया, बी० एव० यू० परिसर,  
 वाराणसी- 221005 (उत्तर प्रदेश)

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जगदीश प्रसाद पिता— स्व० कैलाश प्रसाद ग्राम— हजारीमल धर्मशाला रोड बाजार पो०— बेतिया आना— नगर जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०— केसी/ 01488	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स०- 3740115281, खाता धारक का नाम— Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre, Varanasi, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0285166 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- ६
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा विकित्सा / शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा विकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री विकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक १११ (१५)

पटना, दिनांक- ०९/७/२०२४

**प्रतिलिपि—** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. १६९३.८ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि—** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई बी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे,  
 निदेशक,  
 टाटा स्मारक अस्पताल,  
 परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय प्रकाश पिता— राधवेद्र कुमार ग्राम+पो0— अजवॉ थाना— नौबतपुर जिला— पटना केस फाईल नं0— 11एफ2025 / 004628	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	मनमोहन सिंह पिता— बैद्यनाथ सिंह ग्राम— महिन्दवारा पो0— जन्दाहा थान— महनार जिला— वैशाली केस फाईल नं0— 11एफ2024 / 021007	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सोनेलाल साह पिता— सोनफुल साह ग्राम— सोन्धो मुबारकपुर पो0— सोन्धो थाना— गोरौल जिला— वैशाली केस फाईल नं0— सीटी / 14754	कैसर रोग	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत।
4	बद्री नारायण सिंह पिता— अवध बिहारी सिंह ग्राम— महाबीर अस्थान सासाराम पो0+थाना— सासाराम जिला— रोहतास केस फाईल नं0— सीवी / 12087	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	पवन कुमार पिता— दशरथ प्रसाद ग्राम+पो0— राजधानी थाना— तरैया जिला— सारण केस फाईल न0— 11एफ2024 / 034188	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	सुनीता देवी पति— बबन राय ग्राम— मुबारकपुर पो0— इनई थाना— रिविलगज जिला— सारण केस फाईल न0— सीवी / 41659	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
7	मनोज चौधरी पिता— लाल बिहारी चौधरी ग्राम— घाट टोल पो0— सतघारा थाना— रहिका जिला— मधुबनी केस फाईल न0— सीपी / 30021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	शुभम राज पिता— सुरेन्द्र कुमार राम ग्राम— फुलवरिया 02 वार्ड 05 पो0— बरौनी थाना— फुलवरिया जिला— बैगूसराय केस फाईल न0— 11एफ2024 / 004514	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	बिनोद कुमार पिता— जागो मोची ग्राम— अकबरपुर पो0+थाना— बाढ़ जिला— पटना केस फाईल नं0— 11एफ2025 / 002617	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	रमेश कुमार पडित पिता— गगा पडित ग्राम— श्री नगर त्रिलोकचक पो0— दिघवारा थाना— दिघवारा जिला— सारण केस फाईल न0— सीयू / 21746	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	सजय कुमार पिता— स्व0 रामजनम सिह ग्राम— इन्द्रपुर पो0— सोलहण्डा थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद केस फाईल न0— 11एफ2023 / 039193	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	उमा देवी पति— महेन्द्र महतो ग्राम— रुहेलागज पो— लालबाग थाना— एल० एन० एम० यु० जिला— दरभंगा केस फाईल न०— 11एफ2023 / 027814	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
13	बेबी खातुन पति— कुदुरस मिया ग्राम— सलोनेपुर पो— मडकन थाना— हुसैनगज जिला— सिवान केस फाईल न०— 11एफ2024 / 012559	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
14	ललितेश्वर प्रसाद पिता— दशरथ प्रसाद ग्राम— मदर टेरेसा पथ पश्चिमी रामकृष्ण नगर पो— न्यू जगनपुरा थाना— रामकृष्ण नगर जिला— पटना केस फाईल न०— सीपी / 31179	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	हबीबा खातुन पति— मो० जबी अहमद ग्राम— खाजेचक पो०+थाना— हवेली खडगपुर जिला— मुगेर केस फाईल न०— 11एफ2023 / 014881	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
16	शिव कुमार पिता— इन्द्रसेन प्रसाद ग्राम— पुरानी बाजार पसनौली पो०+थाना— महाराजगज जिला— सिवान केस फाईल न०— सीआर / 11332	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			11,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,85,000/- (ग्यारह लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके स्थान / अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196938 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान / अस्पताल के खाता स० 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम—टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0284241 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक १९१२(१५)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक ०९/७/२०२५

**प्रतिलिपि—** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६९३४ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि—** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/ आई. ए. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
४

स0स0 14 / एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
 क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
 आई0डी0ए0, स्कूलर रोड  
 पी0 बी0 न0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1		3	4	5
1	नाहिद असगर पिता— मो0 असगर अली ग्राम— दौलतपुर सिमरी पो0— सिमरी थाना— बिहटा जिला— पटना सीएमसी न0— एजी 24576	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रुपा कुमारी पति— शिव कुमार पासवान ग्राम+पो0— मरवा थाना— पकरीबरावा जिला— नवादा सीएमसी न0— 897817 एच	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	राहुल कुमार पिता— देवेन्द्र प्रसाद ग्राम— नीमगज पो0+थाना— बिहार शरीफ जिला— नालदा सीएमसी न0— एएफ 79210	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	शिवानी कुमारी माता— रिकी देवी ग्राम— खरगपुर पो0— अबगीला चौरस थाना— चन्द्रदीप जिला— जमुई सीएमसी न0— एबी 12795	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	सोनी देवी पिता— अनिल कुमार ग्राम+पो0— जुरी थाना— पकरीबरावा जिला— नवादा सीएमसी न0— एए 96154	Hydrocephalus	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	दशरथ प्रसाद शर्मा पिता— बच्चू मिस्त्री ग्राम— सलैया पो0— मझिला थाना— कौवाकोल जिला— नवादा सीएमसी न0— एआई 68759	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सोनी कुमारी पिता— बीरेंद्र प्रसाद साह ग्राम+पो0— मिर्जापुर थाना— मढौरा जिला— सारण सीएमसी न0— एआई 83676	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रत्नेश्वर सिंह पिता— वासुदेव सिंह ग्राम+पो0— गोपालपुर थाना— नयागाव जिला— सारण सीएमसी न0— एजे 10910	हृदय रोग CRTD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	कुदन कुमार पिता— कैलाश भगत ग्राम— मधुरापुर पो0— नारायणपुर थाना— भवानीपुर जिला— भागलपुर सीएमसी न0— एजे 14347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	राजीव कुमार गुप्ता पिता— बिहारी प्रसाद ग्राम— महेशपुर पो0— मननपुर थाना— चानन जिला— लखीसराय सीएमसी न0— एए 12662	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	हरिलाल महतो पिता— बैजनाथ महतो ग्राम+पो0— गोपालपुर थाना— चानन जिला— लखीसराय सीएमसी न0— 703172 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	अनुज गोप पिता— नागेश्वर गोप ग्राम— महेश्पुर पो— मननपुर थाना— चानन जिला— लखीसराय सीएमसी नं०— एएच 95149	T7-9 Arachnoid Cyst	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
13	नीतिश कुमार पिता— भीम कुमार ग्राम— फेसरा पो— पोजराहा थाना— फेसर जिला— औरंगाबाद सीएमसी नं०— एआई 96174	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	सूरज कुमार पिता— शिवजी सिंह ग्राम+पो— सोनहथु थाना— हसपुरा जिला— औरंगाबाद सीएमसी नं०— एजे 29145	Right Insular Gloma	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	चिंकी देवी पति— कुंदन यादव ग्राम— झझरी पो— अबगीला चौरामा थाना— चन्द्रदीप जिला— जमुई सीएमसी नं०— 461001 पी	Robotic Pyeloplasty	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			14,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,30,000/- (चौदह लाख तीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सर्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196938...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सर्थान/अस्पताल के खाता सं०-36889551846, खाता धारक का नाम— C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस०बी०आई०, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"विहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा ।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए ।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय । अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय । मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है । प्राक्कलन एक

८-

ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक 1913 (14)


पटना, दिनांक

09/7/2025

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 196938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे) / आई. टी. मैन्जर स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
नारायण सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
120/1, अंदुल रोड़,  
हावड़ा-711103

पटना, दिनाक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 02.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज़ को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पिता— रामजी प्रसाद ग्राम— शाहबाद पोताथाना— पीरपैंती जिला— भागलपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 50,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196938...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-921030004381537, खाता धारक का नाम— मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि0, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—AXIS BANK LTD, शाखा का नाम—सी0बी0बी0 बंगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड सं0 UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक 19/4(14)

पटना, दिनांक 09/07/2025

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
०९/०७/२५

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
 बेली व्यु किलोमीटर 9,  
 डॉ० यु०एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट  
 कोलकता 700017

पटना, दिनांक ..... .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार पिता— इद्रदेव प्रसाद ग्राम— नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सदलपुर रोड पो०— महेन्द्र थाना— बहादुरपुर जिला— पटना	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2				
			₹ 3,00,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196938.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-571801000097 खाता धारक का नाम— Belle Vue Clinic, खाते का प्रकार— Savings A/C बैंक का नाम- ICICI Bank. शाखा का नाम-11 ASanjini Naidu Sarani, kolkata-700017 RTGS/IFSC कोड स०-ICIC 0005718 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1915 (14)

पटना, दिनांक ०९/७/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196938 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख